रजिस्ट्री सं. डी एल(एन)-04/0007/2003-05 REGD. NO. D.L.(N)04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 26—मार्च 4, 2006, शनिवार/फाल्गुन 7—फाल्गुन 13, 1927
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2006, SATURDAY/PHALGUNA 7—PHALGUNA 13, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 30.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल सुधाकरण पानिकर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा.सं. 19/02/झांसी/सी/डीई/2001/259/डी (क्यू एण्ड सी)/06]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st February, 2006

S.R.O. 30.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jhansi by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. Sudhakaran Panicker.

[F. No. 19/02/Jhansi/C/DE/2001/259/D(Q&C)/06]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 31.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, झांसी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल प्रमोद दिगम्बर कुलकर्णी, वी एस एम को छावनी बोर्ड, झांसी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल सुधाकरण पनिकर के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा.सं. 19/02/झांसी/सी/डीई/2001/259/डी (क्यू एण्ड सी)/06]

आर. एस. दुदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st February, 2006

S.R.O. 31.—In pursuance of Sub-Section (2) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Pramod Digambher Kulkarni, VSM has been nominated as a member of the Cantonment Board, Jhansi by the Station Commander, Jhansi in exercise of the powers conferred under clause (b) of Sub-Section (2) of Section 14 of that Act vice Col. Sudhakaran Panicker whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/02/Jhansi/C/DE/2001/259/D (Q&C)/06]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनरल स्टाफ प्रणाली शाखा, पूर्व कमान और दक्षिण कमान मुख्यालय के आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ग' और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक 'ख' समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनरल स्टाफ प्रणाली शाखा, पूर्व कमान और दक्षिण कमान मुख्यालय के आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ग' और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जनरल स्टाफ प्रणाली शाखा, पूर्व कमान और दक्षिण कमान मुख्यालय के आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ग' और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के समूह श्रेणी 'ग' पद भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची के स्तंभ 5 में, स्तंभ शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"चयन पद अथवा अचयन पद"।

[फा.सं. बी/00305/एम आई एस ओ/एस एण्ड सी (प्र.)/822/आर आर/डी (ए)/05]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

टिप्पण—मूल नियम का.नि.आ. 112 तारीख 12 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th February, 2006

S.R.O. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the General Staff Systems Branch, Headquarters Eastern Command and Southern Command Group 'C' posts of Data Entry Operator Grade 'C' and Data Entry Operator Grade 'B' Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Genreal Staff Systems Branch, Headquarters Eastern Command and Southern Command Group 'C' posts of Data Entry Operator Grade 'C' and Data Entry Operator Grade 'B' Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Staff Systems Branch, Headquarters Eastern Command and Southern Command Group 'C' posts of Data Entry Operator Grade 'C' and Data Entry Operator Grade 'B' Recruitment Rules, 2003, in the Schedule, in column 5, for the column heading, the following shall be substituted, namely :—

"Whether selection or non-selection post".

[F. No. PC to B/00305/MISO/S&C (Adm)/822/RR/D(A)/05]

R. B. JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal rules were published vide number S.R.O. 112, dated, the 12 August, 2003.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2003 में स्तंभ 5 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन"

[फा.सं. 12565/ओ.एस/डीजीएनसीसी/पर्स (सी)/775/आर आर/डी (ए)/05]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

टिप्पण—मूल नियम का.नि.आ. सं. 53 तारीख 27 मार्च, 2003 को अधिसूचित किए गए थे।

New Delhi, the 14th February, 2006

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend National Cadet Corps Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called National Cadet Corps, Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In schedule to the National Cadet Corps, Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment Rules, 2003, under Column 5, for the entry, the following, entry shall be substituted, namely :—

"Selection"

[F. No. 12565/OS/DGNCC/Pers(C)/775/RR/D(Apptts)/05]

R. B. JOSHI, Under Secy.

Footnote.—The Principal rules were notified vide S.R.O. No. 53, dated 27th March, 2003.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998 की अनुसूची में, क्रम सं. 4 के सामने पद प्रशासनिक सहायक 'क' से संबंधित है के अधीन स्तंभ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) पास;

(ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट विशुद्ध टंकण की गति; या

कम्प्यूटर में डाटा प्रविष्टि की 8000 की डिप्रैशन प्रति घंटा की विशुद्ध टंकण की गति।

वांछनीय :

कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान या 'ओ' स्तर का कंप्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण"।

[फा.सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/02]

एस. के. देव, अवर सचिव

टिप्पण— मूल नियम का.नि.आ. 10 (अ) तारीख 29 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 28th December, 2005

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment Rules, 1998, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment Rules, 1998, against the post at serial number 4, relating to Administrative Assistant 'A' under Column 9, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Essential :

(i) Matriculation (10th) pass from a recognized School or Board;

(ii) Accurate typing in English at the speed of 30 words per minute or in Hindi at the speed of 25 words per minute;

Or

Accurate typing speed of 8000 key depressions per hour for Data entry in the computer.

Desirable : Knowledge of computer operation or pass in computer course at 'O' level".

[F. No. DHRD/76257/RR/ADMIN/C/P/02]

S. K. DEB, Under Secy.

Foot note.—The Principal rules were Published vide number S.R.O. 10(E), dated the 29th May, 1998.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2006 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में :—

(क) उप नियम (1) के खंड (ख) में और उप नियम (2) के खंड (क) में '' 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) '', पद, जहां जहां आता है, के स्थान पर क्रमशः वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) या विशिष्ट वैज्ञानिक शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के खंड (च) में ''उन मामलों को छोड़कर'' शब्दों के स्थान पर वैज्ञानिक '' 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक के मामले को छोड़कर'' शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उप नियम (2) में विद्यमान खंड (छ) को खंड (ज) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (ज) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(झ) वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) तथा विशिष्ट वैज्ञानिक के ग्रेड में पदोन्नतियां, सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी''।

3. उक्त नियमों की अनुसूची 1घ में, टिप्पण 2 पर की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''विशिष्ट वैज्ञानिक का ग्रेड प्रदत्त करने के लिए, पीयर समिति उपरोक्त (i) से (iv) पर यथा सूचीबद्ध से मिलकर बनेगी।''

4. उक्त नियमों की विद्यमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-2"

नियम (4) देखिए

क्रम सं.	पदों का पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	वैज्ञानिक "ख"	8000-275-13500 रुपए	7229 (क्रम सं. 1 से 6 तक)
2.	वैज्ञानिक "ग"	10000-325-15200 रुपए	
3.	वैज्ञानिक "घ"	12000-375-16500 रुपए	
4.	वैज्ञानिक "ङ"	14300-400-18300 रुपए	
5.	वैज्ञानिक "च"	16400-450-20000 रुपए	
6.	वैज्ञानिक "छ"	18400-500-22400 रुपए	
7.	वैज्ञानिक "ज" (उत्कृष्ट वैज्ञानिक)	22400-525-24500 रुपए	26 (वैज्ञानिक "छ" की कुल संख्या का 10%)
8.	विशिष्ट वैज्ञानिक	24050-650-26000 रुपए	वैयक्तिक प्रोन्नयन, सरकार द्वारा यथा विनिश्चित संख्या
9.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और महानिदेशक, अनुसंधान तथा विकास	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए विनिश्चय के अनुसार	1"

कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान या 'ओ' स्तर का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/सी/पी/03]

एस. के. देब, अवर सचिव

पाद टिप्पणी— रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड-4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसंबर 1978 के तहत, प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें का.नि.आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर 1980, का.नि.आ. 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 तारीख 06 मई, 1983, का.नि.आ. 176 तारीख 07 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158 तारीख 04 मई, 1987, का.नि.आ. 328 तारीख 25 सितंम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-ई, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 05 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अक्तूबर, 1994, का.नि.आ. 34 तारीख 08 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33 तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119 तारीख 09 जुलाई, 1999, का. नि.आ. 51 तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ. 179 तारीख 13 नवंबर, 2003 द्वारा संशोधन किए गए।

New Delhi, the 8th February, 2006

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules futher to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (i) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the data of their publication in the Official Gazette.

2. In schedule to the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred as the said rules), in rule 8,—

(a) in clause (b) of sub-rule (1) and in Clause (a) of sub-rule (2), for the term " 'H' (Outstanding Scientist)", wherever it occurs, the term "Scientist 'H' (Outstanding Scientist) or distinguished Scientist" shall respectively be substituted;

(b) In sub-rule (2), in clause (f) for words "except in those cases", the words "except in the case of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist" shall be inserted;

(c) In sub-rule (2), the existing clause (g) shall be re-lettered as clause (h) and before clause (h), as so re-lettered, the following clause shall be inserted namely:—

"(g) Promotions to the grade of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist shall be effective from the date of assumption of charge of the post after due approval of the competent authority".

3. In the said rules, in the Schedule ID, for the entry at Note 2, the following entry shall be substituted, namely:—

"For conferring the grade of Distinguished Scientist, the Peer Committee shall comprise as listed at (i) to (iv) as above".

4. In the said rules, for the existing Schedule II, the follwong Schedule shall be substituted, namely:—

"Schedule II

[see rule (4)]

Sl. No.	Designation of Posts	Scale of Pay	No. of Posts
1.	Scientist 'B'	Rs. 8000-275-13500	7229 (Sl. No. 1 to 6)
2.	Scientist 'C'	Rs. 10000-325-15200	
3.	Scientist 'D'	Rs. 12000-375-16500	
4.	Scientist 'E'	Rs. 14300-400-18300	
5.	Scientist 'F'	Rs. 16400-450-20000	
6.	Scientist 'G'	Rs. 18400-500-22400	
7.	Scientist 'H' (Outstanding Scientist)	Rs. 22400-525-24500	26 (10% of the strength of Scientist 'G')
8.	Distinguished Scientist	Rs. 24050-650-26000	Personal upgradation, number as decided by Govt.
9.	Scientific Advisor to Raksha Mantri and Director General Research and Development	As decided by the Central Govt. from time to time.	1

[No. DHRD/76205/DRDS/C/P/03]

S. K. DEB, Under Secy.

Foot Note.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4 vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33 dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100 dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119 dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51 dated the 27th March, 2003 and S.R.O. 179 dated the 13th Nov, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064